पत्र 'क'

[पैराग्राफ 5(i)देखें]

सत्यमेव जयते

सॉवरेन स्वर्ण बांड 2022-23के लिए आवेदन पत्र

(आवश्यकतानुसार ✓का निशान लगाएं)

बैंक/डाक घर का नाम ______ ब्रांच का नाम ______

अंशदान का माध्यम ☐ नकद ☐ चैक/डीडी ☐ इलेक्ट्रोनिक अंतरण

	आवेदनकिया गया सोना ग्रा. में	चैक/डिमांड ड्राफ्ट और शाखा का नाम)	चैक/डिमांडड्राफ्ट संख्या	दिनांक
(अंकों में)				
(शब्दों में)				

राशि: रु. (अंकों में) (शब्दों में)

पैनसंख्यायदिलागूहो

आवेदक की स्थिति:निवासी व्यक्ति [ ], न्यास[ ], धर्मार्थ संस्था[ ], विश्वविद्यालय, अन्य [ ], कृपया विनिर्दिष्ट करें: ______

आवेदक(कों) काब्यौरा (साफ अक्षरों में) मौजूदाआरबीआईनिवेशकआईडी, यदि कोई हो

पहला/एकल आवेदक का पूरा नाम

जन्म तिथि (अवयस्क)

पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटरआईडी सं. (उपर्युक्त में से कोई एक)

दूसरा का पूरा नाम

पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटरआईडीसं. (उपर्युक्तमेंसेकोईएक)

अभिभावक (नाबालिग के मामले में)

पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटरआईडी सं. (उपर्युक्त में से कोई एक)

पहला/एकल आवेदक का/अभिभावक का पूरा पता (दोबारा नाम न लिखें)

संपर्क का ब्यौरा

फोन		फैक्स
ईमेल		

ब्याज वांरट/मोचनकेभुगतानहेतुबैंककाविवरण

बैंक का नाम

शाखा का नाम/पता

खाता संख्या

आईएफएसीकोड

खाताकाप्रकार बचत बैंक खाता चालूखाता

नामिती का ब्यौरा -नामांकन फार्म (यथा प्रयोज्य) भरा जाए और संलग्न किया जाए

निक्षेपागार/भागीदार का ब्यौरा (डी-मैट रूप में बांड को धारित करने के विकल्प का चयन करने के लिए)

निक्षेपागारकानाम एन एलसीडीएसलए(डीएल के लिए 8 अंकीय डीपीआईडी लिखें, उसके बाद 8अंकीय क्लाइंट आईडी लिखें, सीडीएसएल के लिए 16 अंकीय क्लाइंट आईडी लिखें)

डीपी/क्लाइंट आईडी

घोषणा:मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूं/करतेहैं एवं शपथ लेता हूं/लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सॉवरेन गोल्ड बांड 2022-23 में मेरा/हमारा कुल निवेश प्रति व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम, न्यास और इसी तरह की संस्थाएं के लिए 20 किलोग्राम से अधिक नहीं है, (ii) इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है, और (iii) मैंने निवेशकों के लिए दी गई सूचना के ब्यौरे तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को पढ़ और समझ लिया है (प्रति संलग्न). एजेंट/बैंक ने स्कीम के विशेषताओं को समझा दिया है।

हस्ताक्षर
(पहला आवेदक)

हस्ताक्षर
(दूसरा आवेदक)

हस्ताक्षर
अभिभावक

तारीख

स्थान

अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम________________ द्वितीय गवाह का नाम________________

पता________________ पता________________

________________ ________________

________________ ________________

हस्ताक्षर________________ हस्ताक्षर________________

हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) घोषणा (अनिवार्य, अगर आवेदक एच.यू.एफ. का कर्ता है)

मैं, ..., प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता हूं और इस कारण मुझे एच.यू.एफ के नाम के चलते सॉवरन स्वर्ण बाण्ड,2022-23 में बेचने,पुष्टि करने, हस्तांतरित करनेऔर किसी अन्य तरह से लेनदेन करने कीपूरी शक्तियां हैं।

एच.यू.एफ. के लिए और उसकी ओर से नमूना हसताक्षर (एच.यू.एफ. का नाम) ....

स्थान________________

दिनांक________________(एच.यू.एफ. की मोहर सहित कर्ता के हस्ताक्षर)

केवलकार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख	बीएएल सं.	सीआईएफ सं.	सरकारी खाते में जमा करने की तारीख	नामांकन पंजीकरण की तारीख	एच.यू.एफ. घोषणा मिली (हां/नहीं)	प्राप्त घोषणा की कुल सीमा	नेफ्ट/ईसीएस मैनडेट मिला (हां/नहीं)	कोई अन्य सूचना

<u>प्रपत्र का भाग क</u>

सॉवरेनस्वर्ण बांड,2022-23में निवेशों हेतु निवेशकों के लिए सूचना

मद	सॉवरेनस्वर्ण बांड,2022-23
निवेशक की श्रेणी	ये बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रति वर्ष, न्यूनतम अभिदान 1 ग्राम और अधिकतम निवेशव्यक्तिके लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलोग्रामहोगा।
बांडों के निर्गम की तारीख	बांड प्राप्ति की तारीख वही होगी जो धारिता प्रमाणपत्र पर अंकित है।
बांडों के प्रकार	डिमेट और वास्तविक (धारिता प्रमाणपत्र)
ब्याज का विकल्प	अर्धवार्षिक अंतराल ब्याज, आवेदन फॉर्म में उल्लिखित खाते अथवा डिमेट खाते से जुड़े खाते में सीधे जमा कराया जाएगा।
पश्च- परिपक्वता ब्याज	पश्च- परिपक्वता ब्याज **देय नहीं है**।
बैंक खाता	निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि ब्याज/परिपक्वता मूल्य का भुगतान सुसाध्य बनाने के लिए बैंक खाते का ब्यौरा दें।
नामांकन सुविधा	एकलधारक अथवा सभी संयुक्त धारक, नामांकिती के रूप में अधिकतम दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।

परिपक्वता अवधि	निर्गम की तारीख से 8 वर्ष ।
पूर्व- परिपक्वता उन्मोचन	निर्गमन के 5वें वर्ष से कूपन तारीखों पर।
विक्रेयता	सॉवरेनस्वर्णबांडस्टॉक एक्सचेंजपरट्रेडिंगकेलिएपात्रहोंगे।
इन बचत बांडों की जमानत पर बैंकों से ऋण	उक्त प्रतिभूतियों के धारक अनुसूचित बैंकों में गिरवी रखने, रेहन अथवा ग्रहणाधिकार करने के हकदार होंगे।
आवेदनप्रपत्र	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और नामोद्दिष्ट डाक घर, एसएचसीआईएल, सीसीआईएल, और प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज।

निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

(क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।

(ख) अधूरे आवेदनों को पूरे विवरण उपलब्ध होने तक नामंजूर किया जा सकता है या उनकी तिथि बढ़ायी जा सकती है।

(ग) यदि मुख्तारनामा धारक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।

(घ) यदि आवेदन नाबालिग की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।

(ङ) कृपया ध्यान दें कि नामांकन सुविधा सॉवरेन स्वर्ण योजना (एसजीबी) के एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है।

(च) यदि नामिती नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।

(छ) यदि निवेश नाबालिग की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(ज) इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।

(झ) कृपया बैंक खाते का बदलाव करने पर, यदि ऐसा है, उसे अविलंब अधिसूचित करें।

(ञ) परिपक्वता पश्च ब्याज देय नहीं है।

(ट) अपनी जन्मतिथि का उल्लेख करें।

निवेशक के अधिकार

(क) बांड (धारक प्रमाणत्र) निवेशक को जारी किया जाएगा।

(ख) बांड पर ब्याज की अदायगी अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज का शोधन आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते या डीमेट से जुड़े खाते, जैसा भी मामला हो, के जरिए किया जाएगा।

(ग) सॉवरेनस्वर्ण बांड2022-23में निवेशहेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.rbi.org.inपर उपलब्ध हैं।

(घ) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, बांडों के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियोंको नामित कर सकते हैं।

(ङ) नामांकनको निर्गम कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(च) नए सिरे से नामांकन को पंजीकृत कराकर इसे बदला जा सकता है।

(छ) मौजूदा नामांकन को निवेश कार्यालय को अनुरोध करके निरस्त कराया जा सकता है।

(ज) निवेशक प्रत्येक निर्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर धनराशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यदि बैंक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते हैः

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग/
बैंकिंग लोक पाल
(पता)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते हैः

मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय
फोर्ट, मुम्बई - 400 008, महाराष्ट्र

घोषणाः मैंने निवेशकों के लिए सूचना के ब्यौरे और निवेशकों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने स्कीम की विशेषताओं की जानकारी दे दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर